I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1991.

II. THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1991.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभापति महोदया, मैं प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 के विरुद्ध अपना परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा 15 जून, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

महोदया, हमारे मुल्क में आज तक एक तरफ मैनुफक्चरर्स एसोसिएशन, मेनुफक्चरर्स फडरेशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन और ट्रडर्स फेडरेशन के जरिए बहुत सारी चीजें उभर कर आयी हैं पर दूसरी तरफ उपभोक्ताओं का कोई भी आर्गेनाइजेशन हमारी कंटरी में नहीं है। उपभोक्ता दिन-प्रतिदिन कालाबाजारी, मिलावट और हर तरह के शोषण से तस्त होता जा रहा है। इस चीज से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी ने एक पहल की थी और उस पहल के माध्यम से, इस उपभोक्ता संरक्षण अध्यादेश के माध्यम से, देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बनाने की कल्पना की गई। 10 दिसम्बर, 1986 को जब इस राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन करने के लिए विधेयक पास किया गया तो उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ऐसे-ऐसे फोरम बनाने की पहल की गई जिसमें उपभोक्ता आ कर इनके खिलाफ अगर कोई कम्पलेन्ट है तो वह फाइल कर सकता था और उसी विचार और उसी स्तर पर करने का प्रावधान इस आयोग के ऊपर रखा गया था। परन्तु दुर्भाग्य है कि इस आयोग को सारे अधिकार देने के बावजूद वह मजबूती से काम कर सके, उसको दांत नहीं दिये गये जिन दांतों के माध्यम से इन कालाबाजारियों जमाखोरों और मिलावट करने वालों को पकड़ा जा सके।

[उपाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) पीठासीन हुए] यह एक अच्छी पहल थी और उस वक्त, इस राष्ट्रीय आयोग विधयक को लाने के वक्त बड़े गर्व से हमारे उस वक्त के मंत्री श्री एच.के.एल भगत जी ने कहा था कि हमने विदेशों के, बड़े-बड़े देशों के, कानूनों को पढ़कर इसका फैसला किया है कि हमारे देश में भी ऐसे आयोग का गठन करना चाहिए जिससे उपभोक्ता को संरक्षण मिल सके परन्तु 10 दिसम्बर, 1986 को इस विधयक के पास होने के बावजूद हमारे मुल्क में जो साढे चार सौ से ज्यादा जिले हैं उन जिलों में आज तक इसके फोरम नहीं बन सके और राज्य स्तर पर जो फोरम बनने थे वे भी पूरे-पूरे फोरम नहीं बन सके। कहीं अगर बने हैं तो उनमें जो मैम्बर होने चाहिए उन मैम्बरों की नियुक्ति नहीं हुई और कई जगह यह हाल हैं कि अगर नियुक्ति हुई तो सदस्य कहीं मर गया या त्याग पत्र देकर चला गया तो वह जगह खाली पड़ी हुई है। उस पर कहीं भी विचार नहीं किया गया।

यह बड़ा ही अच्छा मसला था कि इस देश के उपभोक्ता को हम संरक्षण देते हुए इस आयोग के माध्यम से उन पर विचार करते क्योंकि उपभोक्ता के सिरे पर बहुत सारी चीजें आती हैं। इस आयोग के माध्यम से हमने बहुत सी चीजों को वंचित रखा है। आप जाते हैं कि एक टेलीफोन का सब्सक्राइबर भी उपभोक्ता है और इसलिए टेलीफोन विभाग से जितना विचार मांगा जाय वह नहीं मिलता है। इसी प्रकार से एयर लाइन्स में चढ़ने वाला पसेंजर भी उपभोक्ता है, लेकिन उसको हम कितना विचार देते है? ट्रेन का पैसेंजर भी उपभोक्ता हैं लेकिन हम उसको कितना विचार देते है हमारी नजर में बस और टैक्सी में चलाने वाला भी उपभोक्ता है, क्या हम उस पर भी विचार करते है ? पिछले दिनों इस सदन में चर्चा हो रही थी कि मारूति गाड़ियों की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं।

5.00 P.M.

उसके बावजूद जो सुरक्षा है, उसमें सुरक्षा की कमी आ रही है । उपभोक्ताओं में यदि कमी आती है तो वह भी इस आयोग के अन्तर्गत आना चाहिये और उस पर विचार होना चाहिये । वर्ष 1987-88 की रिपोर्ट में आटोमोटिव कम्पोनेंट एसोसियेशन ने कहा कि करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये के कम्पोनेंट हमारे देश में बनाते हैं । उसमें जो स्पूरियस कम्पोनेंट बनते हैं जिसके कारण हमारे देश में प्रति वर्ष रोड एक्सीडेंट्स में 10 हजार आदमी मारे जाते हैं । वह 10 हजार आदमी किसलिए मारे जाते हैं ? इसलिए नहीं कि वह गलत चल रहे थे, इसलिए नहीं कि जबरदस्ती आ कर सामने खड़े हो गये थे यह आत्महत्या करने के लिए गये थे । यह इसलिए मारे जाते हैं कि जिस गाडी में वह चल रहे थे या जिस मोटर साइकिल पर चल रहे थे, उसमें जो स्पेअर पार्ट थे वह स्पूरियस थे । इसके फेलअर के कारण, मेकेनिकल फेलअर के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में सालाना 10 हजार लोग मारे जाते हैं । इस आयोग के तहत इस पर विचार नहीं किया जाता है और यह कह दिया जाता है कि इन्स्योरेंस के बारे में सोचा जाएगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके घर का अगर टेलीफोन खराब है, आज सुबह टेलीफोन पर बहुत प्रश्न हो रहे थे, तो टेलीफोन विभाग यह कहता है कि हमने तो आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, लाइन अलाइव है, अगर कनेक्शन नहीं मिलता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं । आप एअर-पोर्ट पर जाइये, रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार आप पहुंच जाते हैं, लेकिन बोर्डिंग कार्ड देने के बजाय यह अनाऊंसमेंट होता है कि टेक्निकल स्नेग है इसलिए फ्लाइट चार घंटे लेट हो जाएगी । कभी-कभी तो बोर्डिंग भी कराकर फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है उसका डेमरेज कौन देगा? यहां पेसेंजर भी उपभोक्ता है । दूसरी चीजों पर यदि हम जाएं तो बहुत सी दूसरी चीजें आती हैं । हमारे यहां आई०एस०आई० मार्क लगा हुआ है, उसके बावजूद लोग खाने के बाद बीमार हो जाते हैं । हमारे देश में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की स्पूरियस दवाइयां ड्रग कम्पनियों द्वारा बनाई जाती हैं उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि बिहार में पटना में स्पूरियस ड्रग्स के जो कारखाने पकड़े गये उनमें देखा गया कि डेक्सट्रारोज इंटरावीनस इन्जेक्शन, बच्चों को पिलाया जाने वाला ग्राइप वाटर, सेरिडोन की गोलियां, क्लोरोएमफेनिकोल और क्लोरोक्वीन की गोलियां जो लाइफ सेविंग ड्रग हैं, वह भी स्पूरियस थीं । उनको खाकर लोग मर गये । इन चीजों का आखिर कहां विचार होगा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग बनाया गया कि वहां जा कर उपभोक्ता उपस्थित होगा किन्तु इस उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के पास कोई अपना विजिलेंस सेल नहीं है । इसका कोई विजिलेंस सेल मौके पर जा कर इन्क्वायरी नहीं करता कि कहां कहां कौन-कौन सी नयी कम्पनियां बनी और वहां क्या क्या चीजें बना रही हैं और यह चीजें निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुसार खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं या उसको जो "एगमार्क" मिलता है उसके अनुसार खरी उतरती है या नहीं उतरती । इन चीजों पर विचार किये बिना एक ऐसे राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है जिससे राष्ट्रीय आयोग का गठन जिस अच्छे मकसद से किया गया था उसमें हम आज संशोधन ला कर और चीजें बढ़ा रहे हैं, हम को पीछे भी देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें 1986 से ले कर आज तक क्या-क्या किया गया है । अभी बजट में घोषणा की गई कि कैरोसीन तेल को सस्ता कर दिया गया है और नया रेट जो निकाला गया है वह 2-65 पैसे प्रति लीटर है । यह कल की ही घटना है कि कलकत्ता में अभी भी यह 2-90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है । वहां जो आपकी स्टेट कौंसिल है, उनके पास कोई विजिलेंस सेल नहीं है । पब्लिक ने जा कर उन को शिकायत की । वहां मिस माला बेनर्जी है ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ दी फोरम ... उन्होंने इस बात को उठाया है। यह तो कैरोसिन तेल का उदाहरण है, मिस माला बेनर्जी थीं तो यह बात अखबार

[श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया]

में आई पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आती हैं। आप बाजार में जाइये, शैम्पू खरीदते हैं, शैम्पू में नाम तो लिखा हुआ है "एग शैम्पू" पर मैनुफैक्चरर कौन है यह नहीं लिखा हुआ है। कल अगर आप बाल धोते हैं उस शैम्पू से और बाल उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं तो आप किसके खिलाफ संरक्षण लेंगे।

एक माननीय सदस्य : ये तो टोपी लगाते हैं हम कहां जायेंगे, अगर गंजे हो जायें तो।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : क्या आप बाल का तेल बेचते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बाल की खाल न निकालें। माननीय सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) **:** मैंने कहा कि आप चाहे जितना बोलें, सरकार का बाल बांका नहीं कर पायेंगे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : जहां आप जैसे बांके जवान हों उसको बांका कौन कर सकता है।

जब हम टी०वी० देखते हैं अगर एक कपड़े धोने का साबुन आ जाए और उपभोक्ता उस पर मन बना ले उसकी खूबसूरत फिल्म देखकर, फिर उसी के जस्ट बाद एक और खूबसूरत साबुन का प्रचार आ जाए तो उपभोक्ता कन्फ्यूज हो जाता है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब टी०वी० के माध्यम से रंगीन चित्रों को दिखाकर सीधे-साधे उपभोक्ता को अट्रेक्ट करने की या उनको मजबूर करने की कि वह चीज खरीदी जाए कोशिश की जाती है, उनको आकर्षित किया जाता है तो उन पर कीमत नहीं लिखी जाती है। कीमत के बगैर जब उपभोक्ता उसके आकर्षण से मोहित होकर दुकान में पहुंचता है तो दुकानदार अपनी मनमानी कीमत लगाता है क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि एक नया फैशन छाया हुआ है कि हर डिब्बे पर या हर बोतल पर जो पहले से कीमत प्रिंट होकर आती थी उसके ऊपर एक कम्प्यटर प्रिंट का लेबिल लगाया होता है, वहां दिखता ही नहीं कि इन्क्यूलडेड टैक्स है या एक्सक्ल्यूडेड टैक्स है। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कम्प्यूटर का जो प्रिंट आउट उस पर लगाकर ग्राहकों को विभ्रांत किया जाता है तो कैसे इसके बारे में इस आयोग के माध्यम से सोचा जाएगा। किसी आयोग ने कोई सर्वेक्षण किया है? कोई सर्वेक्षण करके कोई लिस्ट बनायी है कि हमारी कंट्री में क्या-क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं। अगर यह तेल है तो तेल के कितने मैनुफैक्चरर हैं और कितनी कितनी साइज में उनका पैक बनता है। जब खुद उनके पास इन्फारमेशन नहीं होगी ... (व्यवधान) उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आयोग के पास अपना इन्फारमेशन बैंक नहीं होगा कि इस मुल्क में क्या-क्या चीजें बनती हैं तो वे कल को किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अभी तक हमने अपने जिलों में ऐसे आयोग का गठन ही नहीं किया है, आयोग की शाखाओं का गठन ही नहीं किया है तो वहां जो सीधे-साधे देहात के लोग जिला स्तर पर आकर अपनी कम्पलेंटस जाहिर करेंगे, वे आखिर कैसे विचार पायेंगे, कैसे उनके प्रति न्याय होगा जबकि उनको इस बारे में एजूकेट तक नहीं किया गया है कि आखिर उनके अधिकार क्या हैं आखिर किस हद तक वे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज जो थी वह थी कि एक एजूकेशन सेल बनना चाहिये था जो लोगों को एजूकेट करता। अभी इस मुल्क की 85 करोड़ जनता में से कितनों को इस उपभोक्ता संरक्षण आयोग का पता है। इसका पता नहीं है, क्योंकि इसका प्रचार नहीं हुआ है। इसका प्रचार, हो सकता है कि मंत्रालय की फाइलों में जरूर होगा, कि इसका प्रचार हमने इतने लीफलेटस छपवा दिये, इतने सिनेमा हाल्स में इतने स्लाईड दिखा दिये, इतने कागज बांट दिये और इतने अखबारों में इश्तिहार दिये। लेकिन जिस मुल्क में

अनपढ़ लोगों की भी संख्या काफी है, उस मुल्क के लोग आखिर इसको कैसे जानेंगे।

तो इस आयोग के अधिकार कितने हैं और इस आयोग के माध्यम से उपभोक्ता को कितना अधिकार मिल सकता है, उसका मैसेज गांव में पंचायत के माध्यम से जाना चाहिये और पंचायत के माध्यम से बताना चाहिये। आखिर ऐसा कोई एजूकेशन सेल आपके यहां हैं, या नहीं है?

दूसरा, आपने कोई लीगल सेल बनाया है कि नहीं क्योंकि आपको तो स्टेटस दे दिया सुप्रीम कोर्ट के बराबर तक का, किन्तु आपने जो एक गरीब उपभोक्ता टाटा, बिरला, बजाज, मोदी या किर्लोसकर के खिलाफ केस ले आयेगा और जब वह लड़ने के लिये वहां खड़े होंगे, तो उसके खिलाफ बड़े-बड़े बैरिस्टर आकर खड़े होंगे, उसको आप क्या लीगल मदद देंगे या क्या दे रहे हैं, यह कृपया बताइये। जब तक आप यह नहीं बताते या यह लीगल मदद नहीं देते, तो ऐसी कंप्लेंट्स लेकर फायदा क्या है? इससे क्या होगा कि एक गरीब उपभोक्ता कंप्लेंट्स फाईल करेगा और उसके बेस पर उसके अफसर जो हैं, वह मुद्रा का विमोचन करेंगे, उद्योगपतियों से विमोचन होगा कि आपके नाम से कंप्लेंट पड़ी हैं, कैसे मैं इसको दबा दूं। कुछ पैसे लाइये, मैं इसको दबा देता हूं। और इस तरह से वह गरीब जैसे आया था, वैसे ही वापिस जायेगा।

उसके साथ-साथ कोई विजीलेंस सेल है या नहीं है, जो विजीलेंस सेल पता लगाये कि इस मालिक के कहां-कहां कारखाने हैं, उनकी फैक्टरीज कहां-कहां पर हैं, उनके सेल्स-आफिस कहां-कहां हैं, उनके कार्पोरेट आफिस कहां हैं और वह इसकी पैकिंग कहां करते हैं?

बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि नाम तो लिखा रहता है बड़ी कम्पनी का और छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि मैनुफैक्चर्ड बाई सो एंड सो और पैक्ड बाई सो एंड सो। आप अगर खोजेंगे, तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं बहुत सारी दवाइयों की या शैम्पू की बोतलों पर या परफयूम की बोतलों पर देखता हूं कलकत्ता का 2-कोलुटला स्ट्रीट का नाम लिखा रहता है। पर साहब मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ता था और कोलुटला स्ट्रीट पर ही हमारा होस्टल था और मुझे पता है कि वहां कोई कारखाना नहीं है। हमारा होस्टल 4-कोलुटला स्ट्रीट में था और आज तक वहां कोई फैक्टरी मैंने नहीं देखी, किन्तु उसके नाम पर बढ़िया, खूबसूरत पैकिंग में चीजें बिकती देखी हैं।

तो अगर कल को उसके खिलाफ कोई केस करता है, तो आखिर वह जाकर खड़ा कहां होगा? तो आपके पास में मंत्रालय ने इस आयोग को कोई विजीलेंस सेल दिया है या नहीं? अगर नहीं दिया है, तो आप कैसे पता लगायेंगे कि वह कैसे उपभोक्ता को चीट कर रहा है? (समय की घंटी)

क्या हो गया, है सर?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जल्द खत्म करें।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलवालिया : कोई गलती हो गई, है, सर?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : नहीं, नहीं गलती नहीं। आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला। अब मैं चाहता हूं कि आप समाप्ति की ओर चलें।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : राष्ट्रीय आयोग को तो सुप्रीम कोर्ट की बराबरी का ओहदा दिया है, पर कल को अगर वह कोई फैसला सुनाते हैं, तो उसको इम्प्लिमेंट करने के लिये इनके पास मशीनरी क्या है?

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

उसके बाद वह क्या करता है, अगर वह कम्पेनसेशन डिमांड करता है, तो उसको कम्पेनसेशन मिलता है या नहीं मिलता है ? जैसे साहब, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक वाशिंग मशीन बेची रु० 3200 की और जब वह लेकर वहां पहुंचा उपभोक्ता, कस्टमर पहुंचा, उसने कंप्लेंट की, तो उस पर विचार ही नहीं हुआ।

उसी तरह से तमिलनाडु में इक्कीस दिन तक टेलीफोन डिपार्टमेंट का टेलीफोन काम नहीं किया। उपभोक्ता वहां पहुंचे, पर कोई विचार ही नहीं हुआ।

उसी तरह से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आज की डेट में करीब 2500 केसज पेंडिंग पड़े हुये हैं। आखिर इसके कुछ नियम भी बने, निर्धारित किये जायें; कि कंप्लेंट देने के इतने दिन के अन्दर इसका फैसला कर दिया जायेगा और अगर नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को तो संरक्षण नहीं दे रहे। या उपभोक्ताओं के प्रति अन्याय तो नहीं कर रहे, पर हम उद्योगपतियों के प्रति जरूर न्याय करने के लिये जा रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : न्याय.. (**व्यवधान**) उनको संरक्षण दें... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उन्हीं को न्याय दिला रहे है और एसे संरक्षण से बचाने के लिये ही ऐसा एक अध्यादेश लाया गया था, एक विधेयक लाया गया था, जो आज तक फलीभूत नहीं हुआ। जिस वक्त यह विधेयक लाया गया था उस वक्त इसकी प्रशंसा और इसकी उपमा की गई थी यू०के० के, न्यूजीलैंड के और आयरलैंड के कहां--कहां के कंज्यूमर कौंसिल्ज के साथ में और लोगों ने सोचा था.. (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : क्यों नहीं पास हुआ ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पास हो तो गया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिये, अब आप दो मिनट में खत्म कीजिये।

श्री राम अवधेश सिंह : इम्प्लीमेंट नहीं होने में कांग्रेस का दोष है, कांग्रेस सरकार का दोष है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : राम अवधेश जी, बीच में बोलना छोड़ दीजिये और इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, वाकई अगर उपभोक्ता को हमें न्याय दिलाना है तो सही मायने में इस आयोग को पूरी ताकत देने की जरूरत थी और देखना था एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना कर कि इतने टाइम के अन्दर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इसका पूरा गठन हो जाये। मैं कहता हूं कि जैसा कि राजीव गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद को और ज्यादा एक्टीवट किया जाये, तो ये सारे फोरम अगर उनके माध्यम से चलाये जाते तो शायद और अच्छा होता और यह समझ में आता, क्योंकि ये उपभोक्ता उन्हीं के अन्तर्गत हैं और उन्हीं के बीच रहते हैं। हम उन्हें उसकी शिक्षा भी दे सकते थे, उन पर विजिलेंस भी रख सकते थे और हर चीज को हम कार्यान्वित भी कर सकते थे, जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ उद्योगपतियों की एक मजबूत लाबी है और दूसरी तरफ उपभोक्ता बंटा हुआ है। उपभोक्ता कैसे बंटा हुआ है. साउथ में कोई नारियल का तेल खाता है, पूर्व में

सरसों का तेल खाते हैं और गुजरात की तरफ चले जाइये तो मूंगफली का तेल खाते हैं। यह उपभोक्ता जो बंटा हुआ है दूसरे, तीसरे हिस्से में, यह उपभोक्ता को संगठित करने के लिये एक बहुत बड़ा मूवमैंट था और इस फोरम के माध्यम से हम सबको एक करके न्याय दिला सकते थे। अपने संरक्षण में लेकर न्याय दिला सकते थे और देश की काला-बाजारी, देश की मिलावट बन्द कराने के लिये एक सही रास्ता था, एक सही उपाय था, पर इसका अभी तक सदुपयोग नहीं हुआ है, पर दुरुपयोग हुआ है। मैं दुरुपयोग से भी आगे कहता हूं कि आज तक इसने कुछ काम नहीं किया है। जितना पैसा आज तक मंत्रालय ने खर्च किया है वह व्यर्थ किया है। व्यर्थ इसलिये क्योंकि न तो शिक्षा हुई, न आपके विजिलेंस के माध्यम से सूचना एकत्रित की, न फोरम का गठन किया। इसीलिये में इसका विरोध करता हूं। इसके पहले पता नहीं अचानक चन्द्र शेखर जी की सरकार के क्या दिमाग में आया कि इस अध्यादेश को आर्डिनेंस के माध्यम से ला कर इसमें संशोधन लाये। पता नहीं किस चीज की हड़बड़ी की और वह हड़बड़ी अभी तक क्लीयर नहीं हुई। यह सरकार भी उस हड़बडी के पीछे कितनी अंशदार है, मेरे को जरा संदेह है। इसीलिये में इसका विरोध कर रहा हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): The Minister will move the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): Sir, I more:

"That the Bill to amend the Consumer Protection Act, 1986, be taken into consideration."

सर, मैं आभारी हूं अहलुवालिया जी का कि उन्होंने सदन को बहुत-सी बातें बतायीं। जितनी बातें उन्होंने बतायी हैं, उसमें से इस एक्ट में बहुत-सी बातों को कवर करने की कोशिश की गयी है जैसा कि उन्होंने कहा है। . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्य अहलुवालिया जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी बातें मंत्री महोदय ने सुनीं। अब वे उन पर बोल रहे हैं, आप उनकी बात सुनिये, बजाय इसके कि आप दिनेश जी से बात करें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : सर, सन '86 में राजीव जी की दिलचस्पी से कंज़ूमर्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिये यह कानून लाया गया था। उसमें इस बात की कोशिश की गयी थी कि इस एक्ट के तहत कंज़ूमर्स को जो राइट्स दिये गये हैं, उनको वे समझ पायें, उसकी जानकारी उनको मिले और फिर उसका इस्तेमाल भी करें। मैं श्री अहलुवालिया जी की एक बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि ये जितने फोरम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर बने हुये कमीशन या राष्ट्र के लेवल पर बने हुये कमीशन हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। उसको शायद यह जानकर खुशी होगी कि बहुत-सी स्टेटस में जो स्टेट के कमीशन बने हैं, डिस्ट्रिक्टस के कमीशन बने हैं, उनको यहां हजारों की तादाद में कंपलेंटस आयी हैं। उनको उन्होंने तहकीकात की है, जांच की है, बहुतों में उन्होंने अपने फैसले भी दिये हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि कितने बने हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : सर, आंध्रप्रदेश में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 फोरम्स हैं, अरूणाचल प्रदेश में 11 डिस्ट्रिक्टस में 11 फोरम्स बने हैं आसाम में भी 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 फोरम्स बने हैं,

[श्री कमालुद्दीन अहमद]

बिहार में 39 तथा गुजरात में 20 हैं। सर, 5 जगहों पर यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद ज्यादा हैं, लेकिन इतने फोरम्स नहीं हैं। मिसाल के तौर पर गोवा में 2 में से एक डिस्ट्रिक्ट में फोरम बना है। हरियाणा में 13 के मिनजुमला 2 बने हैं, हिमाचल प्रदेश में 12 के मिनजुमला एक बना है, कर्नाटक में 19 के मिनजुमला 4 बने हैं, राजस्थान में 27 जिलों में से 23 में फोरम्स बने हैं, उत्तर प्रदेश में 63 डिस्ट्रिक्ट्स में से 63 में फोरम्स बने हैं' मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट्स में से 9 में फोरम्स बने हैं।]

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मेरे पास यह राज्य शासन की कटिंग है, उसमें डिक्लेअर किया है कि 41 फोरम्स बने हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मेरे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर बता रहा हूं। उड़ीसा में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 13 में फोरम्स बने हैं, जम्मू-काश्मीर का अलग एक्ट है। मैं एक बात और अर्ज करूं..

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जैसे किसी सदस्य की "मेडन" स्पीच होती है तो हम लोग उसको एनकरेज करते हैं, वैसे ही इस सदन में माननीय मंत्री महोदय का यह "मेडन" बिल है। इसलिये बजाय टोका-टाकी के, पहले इनकी बातें सुन लें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : जो इंफोरमेशन चाहते हैं और जो मेरे पास है, मैं दे रहा हूं।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया (जम्मू और कश्मीर) : जनाबेआली, गुजारिश यह है कि तकरीर तो वह फरमा रहे हैं, लेकिन बिल पर इनको मूव करना था, उसके बाद हम लोगों को बहस करनी थी। वह सब बातें इकट्ठी कर दी गई हैं। लिहाजा, यह तरीकाकार गलत है। हम लोगों को तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : चलिये, आप शुरू कीजिये। आप मूव कीजिये। ...**व्यवधान**

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : अभी इनको मूव करना था। जवाब यह बाद में दे दें।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): पहले यह मूव करें, फिर बोलने की इजाजत दी जाय किसी को।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : हां, मैं इसीलिये कह रहा हूं कि आप पहले बोल लें, मूव कर दें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : रेजोलूशन की हद तक तो जवाब दे दें। बहुत सी चीजें हमारे अहलुवालिया जी ने कही हैं, उसके ताल्लुक से मैं सिर्फ एक बात कहूं कि कमीशन जितनी हैं, चाहे राष्ट्रीय कमीशन हो, या स्टेट कमीशन हो या डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, यह अपनी तौर पर कोई तहकीक नहीं करते हैं, बल्कि एक्ट में सिर्फ यही पावर दी गई है कि उनके पास कोई शिकायत आये, कोई कंपलेंट आये तो फिर उसकी तहकीक करते है। ऐसी हजारों कंपलेंट आई हैं और उनकी तहकीक जारी है।

दूसरी बात, अहलुवालिया जी ने कही कि यह बहुत लम्बे चलते हैं और जल्द ही इसका कोई तसफीया नहीं होता है। मैं यह अर्ज करूं कि रूल्स में जहां किसी केमिकल एग्जामिनेशन या और किसी किसम के एक्सपेरिमेंट की जरूरत न हो तो ऐसी कंपलेंट को तीन महीने के अन्दर तय करना है और अगर कहीं केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट वगैरह या ऐसी किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिये पांच महीने की मुद्दत मुकर्रर की गई है।

एक बात और, जो माननीय सदस्य ने कही कि इसकी कोई टीथ नहीं है और यह कोई ऐसी रिलीफ नहीं दे सकते हैं जो इंफोर्स की जा सके। मैं अर्ज करूं कि इनको सारे अख्तियार हासिल हैं और इसकी नेचर आफ इंक्वायरी जो है, कंपनसेटरी है और कंपनसेटरी नेचर जो हैं, उसके तहत जो कंपासेशन दिलाते हैं, वह कानून के तहत एक डिक्री तसव्वुर की जाती है और डिक्री का इंफोरसेमेंट जिस तरीके से होते है वैसे उसका इंफोरसमेंट होताहै। अगर वहां पर किसी फरीक ने डिसओबे किया तो उसमें इम्प्रिजनमेंट का भी अख्तियार इस कानून में है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : एक सेकेंड, कमालुद्दीन साहब। ऐसा है, आप इन सारी बातों को अंत में जवाब के रूप में कहें। अभी तो आप मोशन मूव कर दीजिये।

The questions were proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): The Statutory Resolution and the Motion are open for discussion.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, हमारे कमाल के मंत्री जनाब कमालुद्दीन साहब ने जो उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक.... **(व्यवधान)**

आगे आगे देखिये होता है क्या ?.. आगे की लाइन आप बोल दीजिये।

एक माननीय सदस्य : इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या ?

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, जो उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1991 प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। "उपभोक्ता" शब्द से जो अभिप्राय निकलता है वह यह रहता है कि व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। जिस प्रकार राजनीति शास्त्र में मतदाता की उपयोगिता हुआ करती है, वैसे ही अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की उपयोगिता हुआ करती है। और उपभोक्ता ही सामाजिक अर्थव्यवस्था का का मूलाधार है।

मान्यवर, यद्यपि पिछली सरकारों द्वारा कई कानून पास किये गये जो उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में किये गये प्रयास थे। ऐसे लगभग 50 कानून रहे जिनका संबंध उपभोक्ता के हितों से बताया जा सकता है – जैसे अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 रहा, भारतीय मानक संस्था अधिनियम 1952 रहा, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 रहा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद आया है। ऐसे करीब 50 कानून हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला है। हम अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कानून पास करके कर दें, उससे काम नहीं होने वाला है बल्कि असल बात यह है कि जिस मकसद को सामने रखकर, जिन उद्देश्यों और इरादों की पूर्ति को सामने रखकर हम यह कानून बनाते हैं, वह हितसाधन हो पा रहा है या नहीं, यह देखने की कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिये। इसलिये महोदय, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 रहा, जो पास किया लोक सभा ने 9 दिसम्बर, 1986 को और राज्य सभा ने 10 दिसम्बर, 1986 को, तो जिस मकसद और उद्देश्यों को लेकर पास किया गया, वह मकसद और उद्देश्य पूरे हो पाये या नहीं, इस बात का आकलन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। महोदय, भारत के उपभोक्ताओं को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने, क्षतिपूर्ति दिलाने और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 1986 में वह कानून बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक उपभोक्ताओं की शिकायतों, को शीघ्र, सरल तरीके से और कम खर्च में हल करने की व्यवस्था की गई थी और इसके लिये

[श्री सुरेश पचौरी]

तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र बनाने की बात कही गई थी – थ्री टायर ज्यूडिश्यरी सिस्टम । इस प्रकार उपभोक्ताओं का इस कानून में उल्लेख करके उनको बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिये केन्द्र और राज्य में उपभोक्ता परिषदें गठित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन कानून बने आज इतना समय हो गया, उस कानून का लाभ उपभोक्ता को कितना मिला, उस कानून के जरिये उपभोक्ता कितना लाभान्वित हुआ, इस बात का आकलन करने की आवश्यकता है और जब हम उस एक्ट के पास होने के बाद बिल की शक्ल में इस पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको इस बारे में विचार करना चाहिये।

मान्यवर, कई स्थान, कई जिले, कई राज्य आज भी ऐसे हैं कि जहां सारी परिषदों का गठन नहीं हो पाया है, जैसे कि मंत्री जी ने अभी अपने बयान में बताया कि कई राज्य, कई जिले हैं जहां कि गठन होना चाहिये था, वह गठन राज्य सरकारों की तरफ से नहीं हो पाया। उसमें कई प्रकार की बाधायें हैं। इसलिये जब हम उस मकसद को पूरा करना चाहते हैं जिसके लिये वह बनाया गया था तो राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि वह आवश्यक रूप से जिला स्तर पर इन डिस्ट्रिक्ट फोरम का गठन करें। जिन राज्यों में यह गठन नहीं हो पाया, जैसे एक राज्य है – पंजाब, वहां स्टेट लेवल पर भी इसका गठन नहीं हो पाया है और इसलिये उसका गठन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान्यवर, एक संस्था है जो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है, उसके अध्यक्ष श्री इराडी हैं। उन्होंने यह कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 में जब तक और कुछ संशोधन नहीं होंगे तब तक वह कारगर साबित नहीं हो सकता है और इसके अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों को कोई अधिकार जितने मिलने चाहिये वह सब नहीं दिये गये हैं जिससे कि वह नकली और घटिया वस्तुओं का उत्पादन करने वालों और बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, यह श्री इराडी का भी वक्तव्य रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता संरक्षण उपायों का सही ढंग से प्रचार किया जाए, जो डिजाईन और ट्रेड मार्क बनाये जाते हैं वह इतने जटिल होने चाहिएं कि उनकी नकल कोई और न कर पाये। जो पैकिंग होती है वह इतनी सख्त होनी चाहिये कि वह जब खुले तो इसके अन्दर जो पदार्थ है उसमें किसी भी ढंग से मिलावट न हो पाये, इस बारे में हम लोग विचार करें।

मान्यवर, मेरा इस संबंध में ऐसा सोचना है कि जब हम इस बिल के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं तो हमें कुछ उन बिन्दुओं पर विचार करना चाहिये जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अभी किया है और जिनका उल्लेख नेशनल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट-1986 में भी किया गया है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फोरम होना चाहिये। लेकिन मेरा यह मानना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो जो फोरम होना चाहिये वह फोरम मोबाइल होना चाहिये, चलता-फिरता रहना चाहिये। अगर केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेंगे तो वह सारे उपभोक्ताओं की कठिनाइयों और परेशानियों को सही ढंग से आंक नहीं सकती और जब उनकी परेशानियों और दिक्कतों को वह सही ढंग से नहीं समझ पाएंगी तो उनकी समस्याओं के अनुरूप डिसिजंस नहीं हो सकते। दूसरे, इसको और व्यापक रूप देने के लिये इसको तालुक लेविल पर परिषदों का गठन करना चाहिये, ऐसा मेरा सोचना है।

साथ ही जो फैसले डिस्ट्रिक्ट फोर्म्स करते हैं, जो स्टेट फोर्म्स करती हैं, जो नेशनल लेविल की फोरम करती हैं उन फैसलों के खिलाफ कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट में चेलेंज हो जाता है। तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का

इंटरफिअरेंस इन फोर्म्स के डिसीजंस के खिलाफ नहीं होना चाहिये ऐसा मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव है। वह ऐसी व्यवस्थां अपने इस बिल में करें ताकि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इसमे इंटरफिअरेंस नहीं होने पाये। इसमें ऐसी व्यवस्थां है कि, मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो चेयरमेन होगा, प्रेजीडेंट जो होगा वह एक रिटायर्ड जज होगा, ठीक है वह इसको जुडीशियरी शकल देने के लिये वहां जो निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दो और मेंबर रहेंगे वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोमिनेडिट रहेंगे, जबकि ऐसी व्यवस्थां की गयी है कि उसमें वह मेंबर्स नोमिनेट किये जायेंगे जो कैपेबिल हैं जो कंज्यूमर्स मूवमेंट से संबंधित हैं और जो भली-भांति उपभोक्ताओं की तकलीफों को समझ सकते हैं तथा और भी अच्छा हो यदि वह किसी ऐसे कंज्यूमर्स आर्गेनाइजेशंस से जुड़े हों जो कि उपभोक्ताओं के हितों में काम कर रहे हैं। लेकिन जब अन्य सदस्यों का नामकरण होता है तो यह देखा जाता है कि वह राजनीति से प्रेरित होकर किया जाता है। उससे उसे दूर करने के लिये और इस बिल को लाने में जो मकसद सामने रखा गया है वह तब पूरा हो पायेगा जब राजनीति से अभिभूत होकर, राजनीति से प्रेरित होकर हम अन्य दो सदस्यों का नामकरण नहीं करेंगे, बल्कि उन सदस्यों का नामकरण करेंगे जो कि कंज्यूमर्स मूवमेंट से या उन आर्गनाइजेशंस से संबंधित हैं जो कि कंज्यूमर्स मूवमेंट के लिये काम कर रहे हैं। महोदय, दो अन्य सदस्य जो होते हैं वह अपने आपको बहुत इनफीरियर महसूस करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के चेयरमेन के आगे। उसकी वजह यह है कि उसको उन कानूनों की सही जानकारी नहीं रहती, इसलिये ऐसी व्यवस्था भी किया जाना आवश्यक है, कुछ ऐसे लीगल एडवाईजर्स उन लोगों को जो अन्य दो मेंबर हैं, दिया जाना जरूरी है ताकि वह सही ढंग मे अपना पक्ष भी प्रस्तुत कर सकें, वह इनफीरियरिटी काम्प्लेक्स न आ पाये और जब वह ऐसा पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे तो निश्चित रूप से जो दो अन्य सदस्य हैं, उनकी बात का भी वजन रहेगा। इस लिये मंत्री जी, इस बात का ध्यान देंगे, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। इसलिए मंत्री जी इस पर ध्यान दें, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। दूसरी बात यह है कि ऐसी व्यवस्थां की गई कि जिस कंज्यूमर की शिकायत जहां की है, वह उसी डिस्ट्रिक्ट में उसकी शिकायत करे। महोदय, मैं चाहूंगा कि इसमे ऐसा संशोधन किया जाए कि कंज्यूमर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के सामने अपनी शिकायत कर सकता है और वहां का डिस्ट्रिक्ट फोरम भी उस संबंध में अपना निर्णय दे सकता है। साथ ही कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके संबंध में मैं चाहता हूं कि उनकी परिभाषा में कुछ संशोधन किया जाए। जैसे 'सर्विस' शब्द है। इसमें वायरमैन, इलैक्ट्रिशियन प्लंबर, लौयर, डॉक्टर आदि को शामिल किया जाना जरूरी है।

महोदय, मैंने पहले जिक्र किया है कि यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट हमारे सदन ने दिसम्बर, 1986 में पास किया था। उसके बाद से इसके मुताबिक जितना काम होना चाहिए थां, जो परिणाम निकलना चाहिए था, वह नहीं निकला। उसकी वजह यह थी कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए, जो स्टेट लेवल के फोरम बनाए गए, नेशनल लेवल के फोरम बनाए गए उनमें ठीक तरह से काबिल लोगों का नामांकन नहीं हुआ। महोदय, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट 1986 का जो सेक्शन 10 है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि जो एबल लोग हैं, जो नोलिजेबल लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो उस कंज्यूमर मूवमेंट को समझ सकते हैं, केवल उन्हीं लोगों का नामांकन इन परिषदों में किया जाएगा। पर ऐसा नहीं हो पाया। जितने भी जिलों में ये परिषदें बनी प्रायः उनमें यह देखने को मिला कि उनमें ऐसे लोगों का नामांकन किया गया जिनका कंज्यूमर मूवमेंट से कोई संबंध नहीं था।

[श्री सुरेश पचौरी]

महोदय, इस ऐक्ट के सेक्शन 12 और 16 में भी यह उल्लेख है कि इन परिषदों में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें केपेबिलिटी है लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। मान्यवर, जब यह ऐक्ट ड्राफ्ट किया जा रहा था, उस समय वह उल्लेख किया गया था कि कई देशों में जैसे अमरीका में, आस्ट्रेलिया में, युनाइटेड किंगडम में इस प्रकार से परिषदों में नामांकन की व्यवस्थां है लेकिन महोदय, वहां यह व्यवस्थां भी है कि ऐसे नामांकनों पर असेंबली और पार्लियामेंट की भी स्वीकृति ली जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था यहां भी की जाए ताकि इसका विशुद्ध राजनीतिकरण न हो जाए बल्कि जिस नजरिए से इन परिषदों का गठन किया गया था, उसी नजरिए से इनमें नामांकन किया जाए।

महोदय, आज इन परिषदों के लिए होने वाले नामांकनों में बहुत ज्यादा जुडिशियलाइजेशन हो रहा है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम इस कंज्यूमर मूवमेंट से संबंधित एक्सपर्टस को इसमें शामिल करें। जिस समय यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट पास हो रहा थां, उस समय भी मैंने इस पर हुई चर्चा में कहा था कि यह जल्दबाजी में ड्राफ्ट किया गया है और इसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। आज जब हम इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1991 के संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं इस बारे में अपने कुछ सुझांव देना चाहता हूं। मान्यवर, आज यह केवल कंज्यूमर मूवमेंट बनकर नहीं रह गया है बल्कि ब्यूरोक्रेटिक मूवमेंट हो गया क्योंकि इस ऐक्ट का ड्रांफ्ट ब्यूरोक्रेट्स ने तैयार किया और उन्होंने उपभोक्ताओं की उन परेशानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जो सामान्य उपभोक्ता प्रतिदिन महसूस करता है। उपभोक्ता को अपनी जरूरत की रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जब मिलती हैं तो मिलावट वाली चीजें मिलती हैं। जब मिलावट वाली चीजें मिलती हैं तो भी वे बढ़े हुए दामों पर मिलती हैं, उचित दामों पर नहीं मिलती हैं। इन सारी परेशानियों का अनुभव और ज्ञान ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होता है, जो बिल को ड्रांफ्ट कर देते हैं। इसलिए उस समय भी इसमें संशोधन जरूरी था और आज भी जब हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं, इसमें संशोधन जरूरी है।

मान्यवर, इस ऐक्ट के सेक्शन 2(1) (घ) में इस बात का उल्लेख है कि–

" 'Consumer' does not include a person who obtains goods for resale or for commercial purposes."

महोदय, अब यदि कोई महिला मशीन खरीदे या कोई वाहन लिया जाए जिसका उपयोग वह टैक्सी की जगह पर करे तो निश्चित रूप से वह उपभोक्ता उस "कंज्यूमर कैटेगरी" में आएगा लेकिन यह जो ऐक्ट बनाया गया है इसकी परिभाषा के अनुसार वह "कंज्यूमर कैटेगरी" में नहीं आता।

इसी प्रकार से सेक्शन 2(1)(डी) में कहा गया है "ऐनी कामर्शियल परपज" उसको डिलीट किया जाए और उसके स्थांन पर "ऐनी सर्विस" रखा जाए, यह मेरा मंत्री जी से अनुरोध है।

श्रीमन्, जो नेशनल कमीशन बनाया है जिसमें 10 लाख तक के क्लेम्स आ जाते हैं इसकी भी अपर लिमिट फिक्स नहीं की गई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी अपर लिमिट फिक्स की जाए।

इसी प्रकार इसके चैप्टर 2 में सेक्शन 12 और 14 में पार्ट बी में 30 और 30ई में जो प्राविजन है उसमें यह है—

MRT relating to unfair trade practices may be incorporated into the Consumer Protection Act.

उसके पीछे वजह यह है कि जो कंज्यूमर

डिस्ट्रब्यूटर्स हैं उसकी जो ऐजेन्सीज हैं वे एम.आर.टी.पी. के प्राविजस एवं पावर्स का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकती हैं। मकसद यह है कि एम.आर०टी पी० का आफिस दिल्ली में है और दिल्ली में आफिस होने के साथ-साथ जो कंज्यूमर हैं वह सही ढंग से ऐप्रोच नहीं कर पाते है। इसलिए इसमें भी कुछ संशोधन होना जरूरी है। जो एक्ट इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था वह मकसद पूरा नहीं होगा तो इस कानून को लाने की क्या जरूरत है? उसके लिए माननीय मंत्री जी को मैंने एक नोट दिया है निश्चित रूप से उसका उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी उन बातो का अपने उत्तर मैं समावेश करेंगे। उसमें मैंने 5—6 ऐक्ट का हवाला दिया है जैसे--

the Products Liability Act; the Unfair Terms of Contract Act; the Consumer Products Safety Commission Act; the Power of Attorneys Act; the Consumer Association Indemnity Act.

इन सारों का मैंने उल्लेख किया है। माननीय मंत्री जी उस नोट को देखने के बाद अपना उत्तर देंगे तो उसका उल्लेख करेंगे। इसलिए मैंने अपना स्टेच्युटरी रेजूलेशन भी दिया था क्योंकि मेरी मान्यता थी कि यह ऐक्ट 1986 में जब हमने बड़ी आशाओ और अपेक्षाओ के साथ पास किया था तो वह आशाएं और अपेक्षाएं अक्षरशः रूप से पूरी नहीं हो पाई। इसलिए उसमें कुछ संशोधन किया जाना जरूरी था। इसलिए माननीय मंत्री जी अपने उत्तर मैं उनको निराकरण करेंगे जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है तो निश्चित रूप से वह राजीव जी की परिकल्पना को साकार करेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए राजीव जी ने विशेष रूप से कंज्यूमर मूवमेंट शुरु किया था।

मान्यवर, मै इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले ही राजीव जी ने एक नेशनल कंज्यूमर फ़न्ट बनाया था जब वे कांग्रेस के भी सदस्य थे, नेशनल कंज्यूमर फ्रंट बनाया था और उसी भावना को बाद में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट में जाहिर किया गया। तो निश्चित रूप से बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ वह कंज्यूमर मूवमेंट को उन्होने चलाया था और 1986 में हम लोगो ने इस संसद में बैठकर, राज्य सभा में बैठकर दिसम्बर, 1986 में ऐक्ट बनाया था। वह आशाएं धूमिल न हो इसलिए मंत्री जी इन सुझावो पर गौर करें।

महोदय, 1 जुलाई, 1987 को यह ऐक्ट लागु हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने डिस्ट्रिक्ट फोरम्स बने और मेरे प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट फ़ोरम्स बने, उनके पास कितने केसेज आए, कितनों का उन्होने निपटारा किया?

इसके साथ ही 31 मार्च, 1991 तक टोटल जो केसेज मिले वह 51854 हैं और इन फोरम्स ने निपटारा किया 23834 का। तो निश्चित रूप से फोरम्स के माध्यम से केसेज का जो निपटारा किया जाना था उसकी गति बहुत धीमी है। उस गति को न बढ़ाया गया तो इस बिल को लाने का कोई उद्देश्य है वरना इस बिल को हमने पास कर दिया और यह ठीक अन्य बिलो की तरह पास हो जाए तो उससे परिणाम नहीं निकल पाएंगे जिनकी अपेक्षा उपभोक्ता हमसे कर रहा है।

निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओ की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए यह जो बिल लाया गया है यह बहुत उपयोगी है लकिन इसकी उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब इसमें जो कमियां रह गई हैं और जो रिजल्ट्स देने में व्यवधान पैदा करते हैं. बाधाएं डालते है उनको दूर कर पायेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): I just have a point and that could be termed as point of order. I

Shri Dineshbhai Trivedi would like to know whether the scope of the debate is the entire Bill or the document which just says: amendment of that Bill. I quote: (1) "Amendment of Section 14": (2) "Insertion of new section 18A, 29A, Validation of certain orders etc." So, are we limting our scope to only this or it is open to the principal Bill as well? Through you I would like to get this clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKER DAYAL SINGH): You are a very wise Member of the House. You know your limitations. When your turn comes, you say you would like to say.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Sir, I did not get the clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): I have already told you at the time of your speech you can raise your points and the Minister has to explain to you all these things. At that time you have got every liberty to say your things.

Just now I have to make a special announcement. I have received information from the Rajya Sabha Secretariat that Minister of Water Resources wants to make a statement regarding casualties caused from excessive floods in Maharashtra and Orissa. I have already allowed him for this, but... (*Interruptions*)

SHRI RAM AWADHESH SINGH: What about the statement by the Home Minister?

DR. RATNAKAR PANDEY: Not a single Maharashtra MP is present here.

श्री राम अवधेश सिंह : हम लोग कोयला मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं जो होने वाला है। (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप बैठिये। मैं उसी को बता रहा हूं। जो हमारे पास कार्यसूची है उसके अनुसार 6 बजे श्री पी० ए० संगमा मिनिस्टर आफ स्टेट आफ कोल को अपना स्टेटमेंट देना है। उनके स्टेटमेंट के बाद जल संसाधन मंत्री अपना स्टेटमेंट देंगे लेकिन जल संसाधन मंत्री के वक्तव्य के ऊपर क्लेरिफिकेशंस कल शाम को 6 बजे होगी।

He has to only make the statement here. For clarifications we have fixed the time tomorrow at 6. P.M.

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मुझे एक निवेदन करना है कि यदि स्पष्टीकरण कल होना हैं तो मुझे अपना वक्तव्य अभी दे देने दीजिए और उसके बाद कोयला मंत्री अपना वक्तव्य दे दें और उस पर स्पष्टीकरण अभी हो जाये और मैं कल दे दूंगा। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अभी अपना वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : इसमें कोई आपत्ति नहीं है... (**व्यवधान**) जैसा अभी माननीय रत्नाकर जी ने कहा है और दूसरे सदस्यों ने कहा है ...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : यह जो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बिल चल रहा है वह आज ही होगा या कल होगा ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) अभी इसका फैसला जल संसाधन मंत्री के वक्तव्य और कोयला मंत्री के वक्तव्य तथा उसके क्लेरिफिकेशंस के बाद ही हो पाएगा कि आज करना है या कल।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जहां तक माननीय सदस्य रत्नाकर पाण्डेय जी और दूसरे लोगों ने कहा है, सबेरे जिन लोगों ने मंत्री महोदय से वक्तव्य की मांग की थी उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए वे सदस्य सदन में नहीं हैं। इसलिए कल शाम को 6 बजे क्लेरिफिकेशंस के लिए समय निर्धारित किया गया है।

Now, I will request the Minister for Water Resources to make the stateemnt.

श्री ईश दत्त यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। आपकी कृपा है कि आपने स्पष्टीकरण के लिए कल शाम को 6 बजे का समय निर्धारित किया है। मेरी जो मूल आपत्ति है वह यह है कि मंत्री लोगों का इस तरह का विवेक या कार्यवाही अच्छी नहीं है। इस समय 6 बज रहे हैं। छः बजे घोषणा कर रहे हैं कि जल संसाधन मंत्री इस तरह का कोई वक्तव्य देंगे। इस समय हाऊस से सब लोग जा चुके हैं। इसी तरह का कोई स्टेटमेंट पहले भी रहा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि जो मंत्री महोदय कोई स्टेटमेंट देना चाहते है तो दो घंटे, तीन घन्टे या कुछ समय पहले इस तरह का कोई एजेन्डा या कार्यक्रम आ जाय ताकि उसकी तैयारी की जा सके और लोग उपस्थित रह कर स्पष्टीकरण कर सकें।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): I want to suggest that those Members who give their names until tomorrow 6 o'clock, they all should be allowed to seek clarifications.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : श्रीमान्, हमारे सदन का एक नियम है, एक परम्परा है। लोक सभा में किसी वक्त स्टेटमेंट दिया जा सकता है, किन्तु राज्य सभा में चूंकि क्लेरिफिकेशंस पूछे जाते हैं, इसलिए यहां दो घंटे पहले सेक्रेटरिएट को नोटिस देना होता है और वह नोटिस सरकुलेट होता है। उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट होता है। अगर बिना नोटिस के कोई मंत्री स्टेटमेंट देना चाहे तो वह अनुचित है। दूसरी बात यह है कि इस हाऊस की चेयर की रूलिंग है कि जब स्टेटमेंट इसू हो जाय तो उसके बाद कोई क्लेरिफिकेशंस के लिए नाम देगा तो उसको एन्टरटेन नहीं किया जाएगा। क्या आप उस रूलिंग को चेन्ज करने जा रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं दोनो बातों का एक साथ उत्तर दे दूं। माननीय सदस्य श्री ईश दत्त यादव जी ने और श्री अहलुवालिया जी ने कुछ सवाल उठाये हैं। सचिवालय के पास कुछ देर पहले माननीय जल संसाधन मंत्री जी का यह पत्र आया।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कितने बजे आया था?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : करीब 5 बजे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पांच बजे उसको क्यों एनाउन्स नहीं किया गया?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) ठीक है, आप बैठिये, पहले मेरी बात सुनिये 5 पांच बजे आया और वे इस बात के लिए तैयार थे कि हम साढ़े 5 बजे इस पत्र में लिखा था कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं। लोक सभा में मंत्री महोदय का स्टेटमेंट इस संबंध में हो चुका था। मैं चाहता हूं कि राज्य सभा में आज हो जाय और कल लोग क्लेरिफिकेशंस के लिए नाम दें तो सुविधा होगी। आपने पूछा है इसलिए विशेषतः इस स्टेटमेंट के लिए मैं यह कह देता हूं कि जो सदस्य कल नाम देंगे उनके नाम भी कल के क्लेरिफिकेशंस के लिए शामिल हो जायें।

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : स्टेटमेंट के बाद नाम नहीं दिये जाते हैं. स्टेटमेंट के पहले दिये जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) केवल इसके लिए मैंने कहा है कि कल दे सकते हैं। आगे के लिए यह कंवेंशन होगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप एक नई परम्परा की शुरुआत कर रहे हैं। सदन में कोई स्टेटमेंट देना हो तो दो घंटे पहले नोटिस देना होता है ... **(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । आपने स्टेटमेंट के लिए अपनी रूलिंग दे दी है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्य का कहना ठीक है । अहलुवालिया जी, आप बैठ जाइये । श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह सदन की परम्परा का सवाल है । . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : अहलुवालिया जी, आप बिना मेरे आदेश के बोल रहे हैं, इसलिए यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :*

6.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : चेअर ने क्या कहा आप इस पर नहीं जाएं । मैंने यह इस स्टेटमेंट के लिए दिया है चूंकि यह जरूरी है । मैं जल संसाधन मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपना स्टेटमेंट दें ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : जो अहलुवालिया जी ने उठाया है, वह रूल में है या नहीं है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैंने इसके पहले अपनी रूलिंग दे दी है । **(व्यवधान)**

श्री ईश दत्त यादव : आप यह आदेश करें कि कम से कम दो घंटे पहले यह एजेंडा पर आ जाएं कि फलां मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : यादव जी, आपने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार ही सरकार कार्यवाही करेगी । **(व्यवधान)**

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कर सकती हैं, आप कैसे नया इमकान करेंगे ?

(उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जल संसाधन मंत्री ।

*Not recorded.

STATEMENT(S) BY MINISTER(S)

I. Casualties from excessive Floods in Wardha River in Maharashtra and in Upper Indravathi river in Orissa

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, According to the reports received from the Government of Maharashtra, there were excessive rains in the catchment of the Wardha river falling in the districts of Betul and Chindwara in Madhya Pradesh and also heavy rains in Nagpur and Wardha districts of Maharashtra. The rainfall in Betul was 400 mm in 24 hours upto the morning of 30th July, 1991. The rainfall in the Narkheda tehsil of Nagpur district was 350 mm in the 24 hours. This resulted in excessive floods in the Wardha river on the night of 29th July, 1991. The flood waters entered the town of Mohad situated on the banks of Wardha rver near the confluence of ite tributary, Kolar. The village protection embankment constructed for the village along the banks of the Wardha River gave way and flood waters rushed into the village by 4.30 early in the morning on 30th July, 1991.

Because of the excessive rains in the region the road communication has been distrupted. Establishing immediate contacts with the villages has become difficult. The preliminary reports received from Mohad and other 4 effected villages of the Narkheda tehsil of District Nagpur (namely, Jalalkheda, Khairgaon, Bhugaon and Madana) indicate the number of missing or dead persons to be about 119 in Nagpur district. In addition, in Amaravati District, 2 persons are reported to be missing or dead from the 22 villages which have been affected by the floods. About 5000 houses are reported to have collapsed by the impact of the floods and about 750 cattle are also reported to have been washed away.

There have been some reports in the press that the Tank at Nakthan on the